



फोन: 0135-2736032

Email:- jalnigam.mussoorie@yahoo.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून, 248003

पत्रांक 998

133

62

दिनांक 25/6/2020

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी

मसूरी वन प्रभाग,

मसूरी।

विषय

मसूरी सीवरज योजनान्तर्गत वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (FP/UK/Otheres/43838/2020) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा औन लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal (Online Part-A-1(iii) of Part-I). It should give comprehensive details of the project in brief	Online Part-A-1(iii) of Part-I) में योजना का संक्षिप्त विवरण भर दिया गया है। ✓
2.	Some other documents have been uploaded in the place of authority letter at section (Online Para-A-1 (iii) of Part -I)	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है। ✓
3.	Justification has not been authenticated by DFO at section D(i) in form A, Part I. Please upload justification with authenticated by DFO	निराकरण कर दिया गया है। ✓
4.	User agency may review permanent employment generation details at section E in Form A, Part I.	आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है। ✓
5.	FRA has not been uploaded at section K in Form A, Part I. Please upload Clear copy of FRA with all annexure.	FRA-2006 Upload कर दिया गया है तथा Hard Copy प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है। ✓
6.	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted	मूल प्रतियां प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी हैं। ✓

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

पृ0सं0

133

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र)

अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता